बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिए

स्वास्थ्य विभाग की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ, जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह और दहेज को संबोधन

स्वास्थ्य विभाग के आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न संबंधित हितधारकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के तहत् पूरे बिहार में कार्यरत आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ, ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग वे बाल विवाह या दहेज की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसके रोकथाम की पहल करने में करेंगे ।

समुदाय का प्रत्येक सदस्य – बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री और नेता, हर कोई बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता है। इसके लिए उन तक पहुँचकर उनको बाल विवाह और दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने और इस बुराई का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्त्ताओ के पास अपने पदीय उत्तरदायित्व और प्रतिष्ठता की वजह से इस बात के लिए अनुकूल परिस्थिति मौजूद होती है कि वे समुदाय के सभी हिस्सों में जाकर बाल विवाह और दहेज प्रथा के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करें तथा राज्य में लागू संबंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

उक्त के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ :

1. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) का आयोजनः इस आयोजन के अवसर पर प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/आँगनबाड़ी केन्द्रों पर ए.एन.एम./आँगनबाड़ी सेविका/आशा कार्यकर्त्ता/जीविका की सहेलियों एवं विकास मित्रों के माध्यम से किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी दी जाने वाली सेवाओं में शादी की वास्तविक उम्र एवं उसके महत्व पर परामर्श दिया जाता है।
2. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमः इसके तहत किशोर–किशोरियों में बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा के रोकथाम के लिए राज्य के 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिला (HPDs) यथा – किशनगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, जमुई, गया एवं पूर्णिया अंतर्गत सदर अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर युवा क्लिनिक की स्थापना की गई है। साथ ही अन्य 17 जिला यथा भोजपुर, भागलपुर, कैमुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, औरंगाबाद, बॉका, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, मुंगेर, वैशाली एवं पटना जिले के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर अस्पताल एवं चार चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर युवा क्लिनिक की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 10 से 19 वर्ष के किशोर–किशोरियों को उक्त विषय पर परामर्श एवं जानकारी दी जाती है।

   कार्यक्रम के तहत् समुदाय स्तर पर 10 से 19 वर्ष के किशोर–किशोरियों में से पीयर एडुकेटर का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें बाल विवाह व दहेज प्रथा के दुष्परिणाम एवं विवाह की सही उम्र की जानकारी दी जाती है तथा घरेलु हिंसा एवं आघात का निवारण एवं रोकथाम हेतु परामर्श दिया जाता है।

   उक्त कार्यक्रम के तहत् समुदाय स्तर पर Adolescent Friendly Health Day / Adolescent Friendly Club का आयोजन किया जाता है। जिसमें किशोर–किशोरियों के साथ–साथ उनके माता–पिता एवं समाज के अन्य लोगों को भी इन विषयों पर जागरूक किया जाता है।

बाल विवाह का स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम:

1. बाल विवाह का स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम स्वरूप कम उम्र में लड़की का माँ बनना, कम अंतराल पर बच्चे पैदा होना तथा गर्भपात एवं इससे होने वाली अन्य जटिलताओं की संभावनाएँ बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप न केवल स्त्री प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वरन् बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण पर कुप्रभाव पड़ता है।

2. इस तरह के बच्चों में दीर्घकालीन कुपोषण–बौनेपन की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें बच्चे की लंबाई उसके उम्र के अनुसार नहीं बढ़ती है। नाटे बच्चों में बाधित मानसिक विकास, बड़े होने पर उत्पादन क्षमता में कमी तथा मोटापा, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग इत्यादि स्वास्थ्य संबंधी समस्या पायी जाती है।

समुदाय में बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने में स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका-

आशा (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता), AWW (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता) और ANM (सहायक नर्स मिडवाइफ) जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की समुदाय में काफी सम्मान व प्रतिष्ठा होती है। वे समुदायों के भीतर ज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं और अपनी स्थिति का उपयोग वे बाल विवाह व दहेज प्रथा की रोकथाम सहित कई मानव अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कर सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की पहुँच उन स्थानों पर भी होती है, जहां वे बाल विवाह की घटनाओं के बारे में या दहेज प्रथा के बारे में समय रहते जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे बाल विवाह का आयोजन करने वाले परिवारों से संपर्क कर उन्हें बाल विवाह से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान व दहेज प्रथा के अन्य दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार वह बाल विवाह की जानकारी को बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय कार्रवाई में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही दहेज प्रथा को रोकने के लिए सक्रिय कार्रवाई में भी परिवर्तित कर सकते हैं। समाज में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति विशेष सम्मान होने के कारण लड़कियों के माता–पिता उनकी बातों को अधिक इच्छुक होकर सुनते हैं और गंभीरता से लेते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मी किशोरियों–किशोरों को लिंग और जीवन कौशल पर जानकारी प्रदान करके उनके बीच स्वस्थ संबंधों के बारे में जागरूकता का प्रसार कर सकते हैं। उनके अन्दर यह विश्वास दिला सकते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और हर किसी को हिंसा के खिलाफ बोलने का अधिकार है। वे लड़कों और लड़कियों के अन्दर अपने सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति पैदा कर सकते हैं। उनके प्रयासों से लड़कों और लड़कियों को बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करने की शिक्षा और कौशल प्राप्त होगा।

बाल विवाह और दहेज पर बातचीत समुदाय के साथ सीधे शुरू नहीं हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के रूप में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के सदस्य होने के नाते स्वास्थ्यकर्मी गाँव की महिलाओं, बुजुर्गों और नेताओं के बीच आसानी से पहुंच सकते हैं। वे युवा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं, खून की कमी जैसी समस्याओं पर बातचीत करते हुए उसे बाल विवाह से जोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए मानक संचालन प्रकिया बाल विवाह व दहेज प्रथा पर जागरूकता एवं निवारक कार्य:

1. समुदाय को बाल विवाह व दहेज प्रथा पर जागरूक करने और समुदाय को इसके दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उपलब्ध सभी अवसरों का उपयोग करें।
2. सबसे पहले अपने परिवार में यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार के किसी भी सदस्य की शादी उसके कानूनी उम्र पूरी होने से पहले नहीं हो और शादी में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन–देन नहीं हो।
3. गांव में आयोजित होने वाले किसी भी बाल विवाह में या दहेज के लेन–देन से तय की गई शादी में भाग नहीं लें। साथ ही अन्य जनों को भी जाने से रोंके।
4. ग्राम सभा, स्वयं–सहायता समूह की बैठकों, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पोषण दिवस (VHSND) गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व त्योहार इत्यादि के अवसरों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा की चर्चा मानवाधिकार उल्लंघन के बतौर करें तथा इससे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
5. नागरिक समुदाय के सदस्यों, आईसीडीएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, पुलिस, स्कूल अध्यापकों आदि को साथ लेकर समिति बनाएं। ये समितियॉ परिवारों के बीच जागरूकता पैदा करने का काम कर सकती है और यदि बाल विवाह आयोजित होता है या दहेज का लेनदेन होता है तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

6. बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति व अन्य विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य बनें।
7. अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग को जोड़ने में सहायता करें, ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का एक साथ लाभ उठा सके और विवाह को कानूनी आयु के पहले न करने के लिए और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए प्रेरित कर सके।
8. बाल विवाह को रोकने के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे–मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, किशोरी मंडल पूरक पोषण योजना, सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, राष्ट्रीय किशोर–किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के बारे में समुदाय में जानकारी देना।
9. किशोरों के अन्दर यह क्षमता विकसित करना कि वे बाल विवाह और दहेज प्रथा बर्दाश्त न करें और समाज में प्रचलित बाल विवाह और दहेज प्रथा के बुराईयों को चुनौती दे सकें। इसके लिए किशोरों में निर्णय लेने की क्षमता तथा उनके अन्दर बातचीत करने के कौशल का विकास करना।
10. ड्रॉप–आउट (स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ना) की प्रवृत्ति को खत्म करना तथा और बाल विवाह को रोकने हेतु विवाह की उपयुक्त आयु की सूचना और लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रसारित करना।
11. समुदाय में, विशेष रूप से युवा छात्रों को बाल विवाह और दहेज प्रथा की शिक्षा, स्वास्थ्य व निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, और हिंसामुक्त जीवन जीने के अधिकार तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता सत्रों को आयोजित करना।
12. बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रभाव पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि के नेताओं को एक साथ लाकर समन्वय समिति बनाना। यह समन्वय समिति बाल विवाह के परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी देगा तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा रोकने के लिए एक निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है।

बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के तत्कालिक उपाय-

1. अपने समुदाय के उन सभी बच्चों की सूची बना लें जिनका बाल विवाह संभावित है।
2. यदि स्वास्थ्य केंद्र में किशोरियों की उपस्थिति लगातार घट रही हो और उनके शादी होने की संभावना दिख रही हो तो, बच्चे के घर में जाए और उसके माता–पिता से पढ़ाई के महत्वए बाल विवाह और दहेज प्रथा के फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधित दुष्परिणामों पर चर्चा करें।
3. ऐसे छात्राओं/छात्रों के माता–पिता की काउन्सलिंग करें तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा से संबंधित कानूनों के बारे में उन्हें जानकारी दें और बताएं कि यह कानूनन अपराध है।
4. विवाह में विलंब के लिए सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में उन्हें बताएं।
5. बाल विवाह या दहेज के लेन–देन की सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज कराएं।
6. अगर पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है अथवा पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।
7. बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन पर फोन करें या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस अधीक्षक/बाल कल्याण समिति/महिला एवं बाल विकास विभाग या राज्य के समाज कल्याण विभाग आदि को पत्र लिखें।
8. यदि पुलिस थाना दूर है या आस–पास के इलाकों में कोई न्यायालय नहीं है तो आप आस–पास में बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन से भी सहायता मांग सकते हैं।
9. परिवारों को संबंधित विभागों के साथ जोड़ें ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभों का उपयोग कर सकें और परिवार के किशोरियों/किशोरों के विवाह को कानूनी आयु तक टालने के लिए और दहेज प्रथा को रोकने के लिए प्रेरित हो सकें।

10. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिवार के सदस्यों से शिक्षा के महत्व के बारे में बात करें और शादी करने हेतु स्कूल छुड़वाने के बजाय लड़कियों और लड़कों के स्कूली शिक्षा को हर हाल में पूरा कराने पर जोर दें।

11. दहेज के लेन–देने की जानकारी आप निकटतम पुलिस स्टेशन में दे। बिहार राज्य में आप इसकी सूचना जिला कल्याण अधिकारी को भी दे सकते है, जो इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग, बिहार को देगा।

स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप- जागरूकता

क्रं. सं.	दिनांक	गतिविधियों का विवरण, उदाहरण के लिए- शपथ ग्रहण, चित्रकला प्रतियोगिता, चर्चा, बहस, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर बनाना इत्यादि.	आंगनवाडी/ स्वास्थ्य केंद्र में की गई गतिविधियां	संबंधित उप विषय	भाग लेने वाले बच्चों की संख्या	कोई अन्य टिप्पणी

स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप -

बाल विवाह के लिए संभावित बच्चों की पहचान और की गई कार्रवाई

क्रं. सं.	उम्र	पता	माता-पिता, स्कूल प्रबंधन समिति, सरपंच, समूह संसाधन समन्वयक व अन्य से बातचीत	वर्तमान स्थिति विवाहित/ अविवाहित	कोई अन्य टिप्पणी

स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप-

उन बच्चों के लिए जिनका बाल विवाह हो चुका है।

क्रं. सं.	बच्चों का नाम	माता-पिता का नाम	बच्चे का पता	की गई कार्यवाही-जिला कार्यक्रम प्रबंधक का रिपोर्ट	वर्तमान स्थिति	कोई अन्य टिप्पणी

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग